न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 197/2013

वादीगण :-

1. किशना पुत्र लाडू
2. कैलाश पुत्र लाडू
3. रोशनी पुत्री लाडू पत्नी विरम

फौत के कायम मुकाम :-

3/1 सुशीला पुत्री विरम
3/2 मैना पुत्री विरम
3/3 गीता पुत्री विरम
3/4 नीता पुत्री विरम
3/5 सहनाज पुत्र विरम
सं0 3/3 से 3/5 ना.बा. की वली पिता वीरम, जातियान-रावत निवासीगण-बगतपुरा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सुबान पुत्र गम्भीरा
2. शकरु पुत्र गम्भीरा
3. गफूर पुत्र गम्भीरा फौत के कायम मुकाम :-

3/1 नैनी पत्नी गफूर
3/2 कमला पुत्री गफूर
3/3 कालू पुत्र गफूर
3/4 साजन पुत्र गफूर
3/5 सपना पुत्री गफूर

4. रतना पुत्र गम्भीरा
5. शांति पत्नी अली
6. गिरधारी पुत्र अली
7. फिरोज पुत्र अली
8. मुमताज पुत्री अली
9. संतोष पुत्र अली
10. नूरा पुत्र हिमता
11. छोटा पुत्र हिमता
12. दीना पुत्र हजारी
13. कसुमी पत्नी हजारी

प्रति0 सं0 6 से 9 ना.बा. वली माता शांति पत्नि अली जातियान-मेहराज, निवासीगण-ढाणी बगतपुरा, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राजस्थान)

14. तहसीलदार जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:. 05/07/2013**

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णयः- **दिनॉकः 04/07/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा-बगतपुरा, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 2505 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 2507 रकबा 3-16 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 2508 रकबा 9-10 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 13-09 बीघा की आई हुई हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जिसके पक्षकारान रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबंदी इस भूमि की वाद-पत्र के साथ पेश की हैं। इस भूमि में वादीगण का राजस्व रेकर्ड चालु जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 में वर्णित अनुसार 1/8 वां हिस्सा आता हैं। इसी हिस्से के अनुसार वादीगण रेकर्ड में दर्ज हिस्से माफिक काबिज खातेदार काश्तकार है। इस भूमि की वाद-पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालु जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश की हैं। विवादित भूमि में से खसरा नंबर 2507 व 2508 में से भूमि रेल्वे विभाग ने रेल्वे लाईन हेतु अवाप्त की हैं। रेल्वे विभाग ने खसरा नंबर 2507 में से 1-14 बीघा अवाप्त की हैं, जो राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 2507/1 के रुप में दर्ज हैं। इसी प्रकार खसरा नंबर 2508 में से 1-06 बीघा भूमि अवाप्त की हैं, जो राजस्व रेकर्ड में 2508/1 के रुप में दर्ज हैं। जिसका नजरी नक्शा साथ पेश किया हैं। इसी माफिक हक हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण ने मुआवजा की राशि प्राप्त कर ली हैं व मौके पर रेल्वे विभाग ने भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया व रेल्वे लाईन डाल दी हैं। इस प्रकार से रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त की गई भूमि के अलावा शेष भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हैं। पूर्व में रेल्वे विभाग ने जिस भूमि को अवाप्त किया हैं। उक्त स्थल पहले वादीगण के कब्जे में था, लेकिन अवाप्त करने के बाद सभी हिस्सेदारों ने मुआवजा राशि प्राप्त की व उसके बाद रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त की गई भूमि को छोडकर शेष भूमि में वादीगण का 1/8वां हक हिस्सा हैं। इसी माफिक वादीगण का मौके पर कब्जा व हक व अधिकार भी हैं। रेल्वे विभाग द्वारा जो भूमि अवाप्त की गई हैं। उक्त अवाप्त सुदा भूमि को छोडकर शेष बची वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका अभी तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। रेल्वे विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण कर लेने के बाद शेष भूमि में माफिक हक हिस्से के अनुसार नाप-चौंप व प्रतिवादीगण आये दिन वाद विवाद व झगडा कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने भी माफिक अपने हक हिस्से अनुसार अवाप्त सुदा भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई हैं। भूमि संयुक्त व शामलाती होने से प्रतिवादीगण माठ व बंटवाडा को लेकर के विवाद कर रहे हैं तथा इस विवादित भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी केता को बेचान कर देना चाह रहे है तथा अपने हक हिस्से ज्यादा भूमि पर बतौर अतिकमी के कब्जा कर लेना चाहते हैं, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को इस विवादित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करने के लिये कई बार निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है एवं बंटवाडा कराने से ईन्कार हो गये हैं। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर आधुनिक तरीके से काश्त करना चाहते हैं। इसलिए वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैंक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाडा आवश्यक हैं। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा नही मानने व दिनांक 25/06/2013 को ऐसा बंटवाडा कराने से स्पष्ट रुप से ईन्कार कर देने पर वादीगण के पास यह वादपत्र बाबत बंटवाडा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत बंटवाडा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाति हैं। जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के व्यक्ति हैं, जो इस कृषि भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाये ही इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अजनबी केता को बेचान सौंप देना चाह रहे हैं। साथ ही उपयोगी वादीगण को उनके

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हक हिस्से की भूमि में आवागमन करने में बाधा व अडचन भी पैदा कर रहा हैं। प्रतिवादीगण सभी की नियतबद्ध हैं। वह वादीगण के हक हिस्से की भूमि में स्वयं ही दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहे हैं व इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को बेचान कर अजनबी केता को सौंप देना चाह रहे हैं। इसी नियत से आये दिन वाद विवाद कर रहे हैं, वादीगण कानून को मानने वाले शांत प्रवृति के व्यक्ति हैं, जिनके कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण जबरदस्ती बाधा व अडचन पैदा कर रहे हैं। प्रतिवादीगण वादीगण व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर भी नही मान रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती लाठी लकडियों के बल पर वादीगण को बेदखल कर भूमि का कब्जा अजनबी केता को सौंप दिया तो वादीगण अपने खातेदारी भूमि का उपयोग / उपभोग करने से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो जायेगें तथा वादीगण का अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें। जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद-पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 15 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं व बंटवाडा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। बिनायवाद दिनांक 25/06/2013 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने से स्पष्ट ईन्कार करने पर बमुकाम-ढाणी बगतपुरा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में उत्पन्न होता हैं जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने तथा वादी की भूमि के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली आज दिनांक 04/07/2015 राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - रास में मुकर्रर होकर पेश हुई। राजस्व लोक अदालत की भावना से वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी संख्या 3 रोशनी एवं प्रति0 संख्या 3 फौत के कायम मुकाम का संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया गया। चूँकि वादी विवादित भूमि के स्वयं राजस्व रेकर्ड जमावन्दी 2068-2071 अनुसार खातेदार काश्तकार होना बखूबी साबित हैं, जिससे वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाकर विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने उभय पक्षकारानों का जरिए राजीनामा फर्द मौका मय नजरी नक्शा उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा करके विभाजन / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 04/07/2015 को पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उक्त बंटवाड़ा / विभाजन पर वादी तथा प्रति0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ने राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकारोक्ति दी हैं अर्थात् कोई आपति नहीं कर राजीनामा / सहमति अंकित कर हस्ताक्षर अंकित किये हैं। लिहाजा माफिक सहमति राजीनामा बंटवाड़ा रिपोर्ट फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04/07/2015 को वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाना हम उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा – बगतपुरा, पटवार हल्का – रास – द्वितीय, तहसील – जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 2505 रकबा 0–03 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 2507 रकबा 3–16 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 2508 रकबा 9–10 बीघा, कुल खसरा 03 कुल रकबा 13–09 बीघा भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	किशन कैलाश पि0 लाडू, रोशन के कायम मुकाम– ना.बा. सुशीला मैना गीता नीता सहनाज पि0 वीरम ना. बा. की कुदरती वली पिता वीरम जाति–मेहरात, सा0–ढ़ाणी बगतपुरा खातेदार।	2508/2	1-05-00	चा0सो0	2.84 रू.
2	सुवान शकरू रतना पि0 गंभीरा नैनी पत्नि गफूर कालू साजन पि0 गफूर, मुमताज कमला पुत्रियाँ गफूर, शांती पत्नि अली, गिरधारी फिरोज पि0 अली, मुमताज संतोष पुत्रियाँ अली, गिरधारी फिरोज मुमताज संतोष ना.बा. की कुदरती वली माता शांती पत्नि अली 103/181 हि0, नूरा छोटा पि0 हिमता, दीना पुत्र हजारी, कसुमी पत्नि हजारी 78/181 हि0 कौम–मेहरात सा0–ढ़ाणी बगतपुरा खातेदार।	2507 2508 2508/3	2-02-00 5-14-00 1-05-00	चा0सो0 चा0सो0 चा0सो0	20.48 रू.
योग		3	9-01-00	चा0सो0	20.48 रू.

खसरा नम्बर 2505 रकबा 0–03 बीघा किस्म गै0मु0कुआ में खाता यथावत रहेगा।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति0 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया गया। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :–

1. किशना पुत्र लाडू
2. कैलाश पुत्र लाडू
3. रोशनी पुत्री लाडू पत्नी विरम

फौत के कायम मुकाम :–

3/1 सुशीला पुत्री विरम
3/2 मैना पुत्री विरम
3/3 गीता पुत्री विरम
3/4 नीता पुत्री विरम
3/5 सहनाज पुत्र विरम

सं0 3/3 से 3/5 ना.बा. की वली पिता वीरम, जातियान–रावत निवासीगण–बगतपुरा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सुबान पुत्र गम्भीरा
2. शकरु पुत्र गम्भीरा
3. गफूर पुत्र गम्भीरा फौत

के कायम मुकाम :–

3/1 नैनी पत्नी गफूर
3/2 कमला पुत्री गफूर
3/3 कालू पुत्र गफूर
3/4 साजन पुत्र गफूर
3/5 सपना पुत्री गफूर

4. रतना पुत्र गम्भीरा
5. शांति पत्नी अली
6. गिरधारी पुत्र अली
7. फिरोज पुत्र अली
8. मुमताज पुत्री अली
9. संतोष पुत्र अली
10. नूरा पुत्र हिमता
11. छोटा पुत्र हिमता
12. दीना पुत्र हजारी
13. कसुमी पत्नी हजारी

प्रति0 सं0 6 से 9 ना.बा. वली माता शांति पत्नि अली जातियान–मेहराज, निवासीगण–ढाणी बगतपुरा, तहसील–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान)

14. तहसीलदार जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

मु0न0 :रा0वा0 स0:197/2013

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....–..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा – बगतपुरा, पटवार हल्का – रास – द्वितीय, तहसील – जैतारण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 2505 रकबा 0–03 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 2507 रकबा 3–16 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 2508 रकबा 9–10 बीघा, कुल खसरा 03 कुल रकबा 13–09 बीघा भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	किशन कैलाश पि० लाडू, रोशन के कायम मुकाम- ना.बा. सुशीला मैना गीता बीता सहनाज पि० वीरम ना. बा. की कुदरती वली पिता वीरम जाति-मेहरात, सा०-क्राणी बगतपुरा खातेदार।	2508/2	1-05-00	चा०सो०	2.84 रू.
2	सुबान शकरू रतना पि० गंभीरा लैनी पत्नि गफूर कालू साजन पि० गफूर, मुमताज कमला पुत्रियाँ गफूर, शांती पत्नि अली, गिरधारी फिरोज पि० अली, मुमताज संतोष पुत्रियाँ अली, गिरधारी फिरोज मुमताज संतोष ना.बा. की कुदरती वली माता शांती पत्नि अली 103/181 हि०, नूरा छोटा पि० हिमता, दीना पुत्र हजारी, कसुमी पत्नि हजारी 78/181 हि० कौम-मेहरात सा०-क्राणी बगतपुरा खातेदार।	2507 2508 2508/3	2-02-00 5-14-00 1-05-00	चा०सो० चा०सो० चा०सो०	20.48 रू.
योग		3	9-01-00	चा०सो०	20.48 रू.

खसरा नम्बर 2505 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै०मु०कुआ में खाता यथावत रहेगा।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रति० को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं राजीनामा / सहमति विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/07/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	05	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner